

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, जमुई/भागलपुर/सारण(छपरा)/पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)।
पटना, दिनांक:- 01/11/18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	जमुई	02	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-532 एवं 537 क्रमशः दि.-13.10.18 एवं 20.10.18 के आलोक में (1) स्व. सज्जन यादव, आश्रित बिनवा देवी (माता) ग्रा.-बन्दरचुआँ, पो.+थाना-झाझा, जिला-जमुई (2) स्व. कपिलदेव यादव, आश्रित रातो देवी (पत्नी) ग्रा.-अगहरा तहवाला, था.-अगहरा पो.-अगहरा, जिला- जमुई के भुगतान हेतु।
2	भागलपुर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-1223 दि.-15.10.18 के आलोक में स्व. मो. फारुक, आश्रित जहाँआरा (पत्नी) ग्रा.-सुखसैना, थाना+प्रखण्ड-सन्हौला, जिला-भागलपुर के भुगतान हेतु।
3	सारण (छपरा)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1182 दि.-06.10.18 के आलोक में (1) स्व. हरेन्द्र सिंह, आश्रित मो. उमरावती देवी (पत्नी) ग्रा.-हरपुर पो.-कराह, थाना+प्रखण्ड-बनियापुर, जिला-सारण (2) स्व. महेश सिंह, आश्रित मो. रेखा देवी(पत्नी) ग्रा.-चिन्तामनपुर, पो.-चकिया, थाना-पानापुर, जिला-सारण के भुगतान हेतु।
4	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-1002 एवं 1003 दोनों दिनांक-05.10.18 के आलोक में (1) स्व0 अनुपम कुमार शुक्ला, आश्रित निखिलेश शुक्ला (पिता) ग्रा0-भेलानारी, पंचायत-मुडा, थाना-गोविन्दगंज, अंचल-अरेराज, जिला-पूर्वी चम्पारण (2) स्व0 मुनिलाल महतो, आश्रित उर्मिला देवी (पत्नी) ग्रा0+पो0-रूपडीह, पंचायत-अमर छतौनी, थाना- मु. मोतिहारी, प्रखंड-मोतिहारी सदर, जिला-पूर्वी चम्पारण के भुगतान हेतु।
	कुल	07		700000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 7,00,000/- (₹ सात लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांश नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0-

106

पटना, दिनांक

01.11.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0-

106

पटना, दिनांक

01.11.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-420 एवं 425 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-24.10.18 एवं 29.10.18 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।